निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 21 /प्रा0पत्र/18

राज0सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,रसद विभाग झालावाड़

बनाम

01. जावेद अली पिता मोहम्मद जहीर पुरानी जैल रोड़,झालावाड़
02. दीपक कुमार (मालिक/ड्राईवर) आ0 ओमप्रकाश कहार नि0 गुढा गावड़ी तहसील झालरापाटन

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्तशुदा 15 एलपीजी गैस सिलेण्डर, दो विद्युत मोटर मय पाईप तथा एक मारूती वेन संख्या आर जे 17 यूए 1348 को राजसात किये जाने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद
श्री कुलदीप गुर्जर अभिभाषक अप्रार्थीगण
श्री रामविलास अभिभाषक अप्रार्थी 2

–: निर्णय :–

दिनांकः 24.05.2018

यह प्रा0पत्र प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय झालावाड़ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 03.11.2017 को थानाधिकारी झालावाड़ से सम्पर्क किया जाने पर थानाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुरानी जैल रोड़ झालावाड़ पर रजाक चौधरी के मकान में अवैध गैस सिलेण्डर रखे हुए हैं व गैस भरने का कार्य किया जा रहा है। इस पर पुरानी जेल रोड स्थित मोहम्मद बशीर के मकान पर पुलिस विभाग की टीम के साथ पहुंचे। मौके पर जावेद अली मारूती वेन सं0 आर जे 17 यूए 1348 जो कि दीपक पिता ओम प्रकाश कहार नि0 गुढा गावडी की थी में घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस विद्युत मोटर के द्वारा पाईप के माध्यम से भर रहा था। मौके पर तलाशील लेने पर विद्युत मोटर से जुडे सिलेण्डर के अलावा एचपीसीएल के 13 सिलेण्डर व भारत गैस का 01 सिलेण्डर कुल 15 गैस सिलेण्डर पाये गये। वाहन में गैस भरने एंव अवैध सिलेण्डर रखने बाबत जावेद अली द्वारा कोई संतोषप्रदर जवाब नही दिया न ही उक्त सिलेण्डरों का कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों से मारूति वेन में गैस भरी जाकर व्यावसायिक उपयोग किये जाने के कारण मौके पर पाई गई मारूती वेन संख्या आर जे 17 यूए 1348; कुल 15 गैस सिलेण्डर व दो विद्युत मोटर मय पाईप के जब्त सरकार किये गये। मारूति वेन थानाधिकारी कोतवाली की सुपुर्दगी में तथा 15 एलपीजी गैस सिलेण्डर दो विद्यत मोटर मय पाईप के झालावाड़ गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिये गये, प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली झालावाड़ में दर्ज करवाई गई। इस प्रकार जावेद अली का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 व दृवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधान संख्या 4(क) व 6 का उल्लघंन है। जब्तशुदा 15 एलपीजी गैस सिलेण्डर, दो विद्युत मोटर मय पाईप तथा एक मारूति वेन सं आरजे 17 यूए 1348 को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी 1,2 की और से अभिभाषक श्री कुलदीप गुर्जर व अप्रार्थी 2 की और से अभिभाषक श्री रामविलास उपस्थित हुए। उनके द्वारा जवाब प्रा0पत्र एवं लिखित बहस प्रस्तुत की जाकर अंकन किया गया कि प्रकरण की मूल पत्रावली माननीय न्यायालय CJM झालावाड़ के यंहा विचाराधीन है जिसमें वाहन आरजे 17 यूए 1348 की सुपुर्दगी CJM झालावाड के यंहा से हो चुकी है और उक्त प्रकरण के मूल प्रकरण का निस्तारण भी CJM झालावाड के यहीं से होगा, श्रीमान के यंहा विचाराधीन प्रकरण को ड्राप किया जावे।

बहस सुनी गई । पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहन में गैस भरकर आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 व दृवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधान संख्या 4(क) व 6 का उल्लघंन किया है। जब्तशुदा 15 एलपीजी गैस सिलेण्डर, दो विद्युत मोटर मय पाईप तथा एक मारूति वेन सं आरजे 17 यूए 1348 को राजसात किया जावे। इस पर अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा व्यक्त किया कि मूल प्रकरण प्राथमिकी दर्ज होने से माननीय न्यायालय CJM झालावाड़ के यंहा विचाराधीन है जिसमें वाहन आरजे 17 यूए 1348 की सुपुर्दगी CJM झालावाड के यंहा से हो चुकी है और उक्त प्रकरण के मूल प्रकरण का निस्तारण भी CJM झालावाड के यहीं से होगा, श्रीमान के यंहा विचाराधीन प्रकरण को ड्राप किया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। दिनांक 03.11.2017 को थानाधिकारी को पुरानी जैल रोड़ झालावाड़ पर रजाक चौधरी के मकान में अवैध गैस सिलेण्डर रखे होने व अवैध रूप से गैस भरने का कार्य किया जाने की जानकारी होने पर पुलिस विभाग की टीम व प्रवर्तन निरीक्षक व प्रवर्तन अधिकारी,जिला रसद कार्यालय झालावाड़ द्वारा कार्यवाही करने पर मौके पर जावेद अली मारूती वेन सं0 आर जे 17 यूए 1348 जो कि दीपक पिता ओम प्रकाश कहार नि0 गुढा गावडी की थी में घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस विद्युत मोटर के द्वारा पाईप के माध्यम से भरता हुआ पाया जाना व मौके पर तलाशी लेने पर विद्युत मोटर से जुडे सिलेण्डर के अलावा एचपीसीएल के 13 सिलेण्डर व भारत गैस का 01 सिलेण्डर कुल 15 गैस सिलेण्डरो का पाया जाने व वाहन में गैस भरने एंव अवैध सिलेण्डर रखने बाबत जावेद अली द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही देने व उक्त सिलेण्डरों का कोई दस्तावेज उपलब्ध नही कराने पर ही उक्त कार्यवाही की गई है व उंक्त कार्यवाही उपरान्त प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग द्वारा पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश 2000 के प्रावधानों का उलधंन होने पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है व उक्त प्राथमिकी के परिणाम स्वरूप वाहन मारूती वेन सं0 आर जे 17 यूए 1348 व कुल 15 एलपीजी गैस सिलेण्डर, दो विद्युत मोटर मय पाईप जब्त है। प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने से प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, चूंकि प्रकरण में जब्त एलपीजी सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना किसी प्राधिकृत स्वीकृति के अपने पास रखे गये हैं जो दृवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधान संख्या 4(क) व 6 का उल्लघंन है। अतः उक्त जब्त सिलेण्डर को राजसात किया जाता है जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाकर निस्तारण करें। जब्त वाहन व विद्युत मोटर का अन्तिम निस्तारण सक्षम अधिकारिता रखने वाले माननीय न्यायालय के निर्णय अनुरूप होने से इस बाबत कोई टिप्पणी किया जाना विधि सम्मत नही है। अतः प्रकरण का इसी अनुरूप निस्तारण किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर,
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़